[illegible]

-पे0 सं0 01-03

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं0 ....04/2017-18

वाद का प्रकार– [illegible]

आदेश की क्रमांक सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
03.10.2020	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक [illegible] दिनांक 13.08.2018 [illegible] अपर मुख्य निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0 [illegible] आ0न0नि0 119/85/2308/रा0 दिनांक– 03.09.1985 एवं [illegible] परिपत्र सं0–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि – मौजा ....कुदल.... थाना नं0 143 खाता नं0 84/1 ...खेसरा नं0 .... रकबा ....1.2).... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उक्त मौजा के पंजी II के जिल्द संख्या ....1.... के पृष्ठ संख्या 56 पर जमाबंदी रैयत देवनाथ मो0 बुधवा मो0 धानी महतो .... पिता/पति धानु महतो .... के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/जाली हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त के आलोक में स्पष्ट है कि उपर्युक्त विवरणी की भूमि की जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है जिसका बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(1) के तहत जाँच किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः उक्त संदेहास्पद जमाबंदी [illegible] उपर्युक्त [illegible]	

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कारवाई पर टिप्पणी

14.10.2020

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेख में संलग्न है। जमाबंदी रैयत एवं उनके वंशजो के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। तामिला प्रतिवेदन में बतलाया गया कि जमाबंदी रैयत देवनाथ वो कचवा वो घासी महतो पिता धानु महतो ग्राम कोरकोटा कदल में नहीं रहते हैं। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक जॉच प्रतिवेदन में बतलाया गया कि

- जमाबंदी रैयत देवनाथ वो कचवा वो घासी महतो पिता धानु महतो ग्राम कोरकोटा कदल में नहीं रहते है।
- जमाबंदी रैयत का विषयांकित भूमि पर दखल नहीं है। एंव खेती बारी करते नहीं पाया गया।
- भूमि का वर्तमान स्वरूप खाली परती है।
- स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मौजा कदल थाना न० 143 खाता स० 84/1 कुल रकबा 1.21 एकड भूमि का कोई उत्तराधिकारी व्यक्ति को भी नहीं जानते है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन एंव चेक लिस्ट में प्रतिवेदित किया है कि सर्वे खतियान खाता सं0 84/1 गैरमजरुआ खास दर्ज है। मांग पंजी 2 के भाग सं0 1 पृष्ट सं0 56 में दर्ज रैयत देवनाथ वो कचवा महतो वगै पिता धानु महतो के नाम से कायम जमाबंदी मौजा कोरकोटा कदल थाना न0 143 खाता सं0 84/1 कुल रकबा 1.21 एकड भूमि का आधार दर्ज नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक, एंव अंचल निरीक्षक के स्थानीय जॉच में भी यह स्पष्ट हुआ कि जमाबंदी रैयत का खाता सं0 84/1 कुल रकबा 1.21 एकड भूमि में दखल नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन एंव अंचल निरीक्षक के मंतव्य का अवलोकन किया जमाबदी रैयत देवनाथ वो कचवा महतो वगै पिता धानु महतो साकिन कोरकोटा कदल के द्वारा पूर्व से अब तक जमाबंदी के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य कार्यालय मे उपलब्ध नही कराया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, एंव अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किये है कि स्थानीय जॉच से ज्ञात हुआ कि रैयत मौजा कोरकोटा कदल मे नही रहते है। एंव विषयांकित भूमि पर दखल नहीं है। एंव खेती बारी करते नहीं पाया गया। पंजी 2 रैयत देवनाथ वो कचवा

14/10/2020

महतो वगै पिता धानु महतो के नाम से कायम जमाबंदी मौजा कोरकोटा कदल थाना न0 143 खाता सं0 84/1 कुल रकबा 1.21 एकड भूमि का वर्ष 1993 से बिना आधार का जमाबंदी कायम है लेकिन साक्ष्य के रूप में पर्याप्त अधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। सर्वे खतियान खाता सं0 84/1 गैरमजरूआ खास किस्म दर्ज है। जबकि खाता सं0 84/1 सर्वे खतियान में कुल प्लॉट की सं0 281 है, एवं कुल रकबा 783.18 एकड़ भूमि दर्ज है। जमाबंदी रैयत अथवा किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त उक्त जमाबंदी के पक्ष में कोई साक्ष्य/दस्तावेज अंचल कार्यालय में समर्पित नही किया गया है। जिस कारण स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त भूमि जमाबंदी रैयत को किस प्रकार प्राप्त हुआ। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा के आलोक में मौजा कोरकोटा कदल, थाना न0 143 खाता सं0 84/1 कुल रकबा 1.21 एकड भूमि नियमितिकरण नहीं की जा सकती है। उक्त कारणो के आधार पर अवैध जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे।

लेखापित संशोधित।

अंचल अधिकारी
कर्रा।

अंचल अधिकारी
कर्रा।